

- 25 यानिकी(काररेट्री) लदवा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 बुकानो मे
- 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 यावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 रोल मिल।
- 30 लोफ मोटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयरिंग कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सक्रियाओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कुटने।
- 35 थिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 आईसक्रीम/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्क विनिर्माणशाला।
- 40 एरबेन्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाण्डी और धुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 पाटरी, सिरोमिक्स या रिफ्रिजरेट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, गूनानी फार्मसी।
- 50 प्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कबल बनाने के अधिष्ठान
- 54 छाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
- 57 छोटा(निनिएदर) बल्ब एवं कौंध उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट भट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हो।
- 63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रीतिशोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एल0पी0जी0वितरण एवं सम्बंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
- 68 केबिल अपरेटर एवं सम्बंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ) एवं सम्बंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विद्युत संयंत्र(विद्युत संयंत्र(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेन्टर/आई0टी0 इन्फरस्ट्रक्चर/टेलीकॉमिग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन।

*(Handwritten signature)*  
03.04.2023

(अजय कुमार मिश्रा)  
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।  
संख्या 2-9 प्रवर्तन-(एम्0डब्ल्यू0)/15 दिनांक: 34/2023

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- 2 अनुसंधित उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल [wagecell@nic.in](mailto:wagecell@nic.in) के माध्यम से
- 4 अधिसूची निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट [www.uplabour.gov.in](http://www.uplabour.gov.in) पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमाशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)  
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता**

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03 -2019 -931(न्यू0वे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उपरोक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 के औसत अंक 379 पर दिनांक: 1-04-2023 से 30-9-2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-379पर दिनांक: 1-04-2023 से दिनांक: 30-9-2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(379-216)

.....x5750= रू0-4339/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

क्रमिक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.10.2022 से 31.3.2023 तक (कुल मजदूरी रू0 में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में	दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक	
				दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	9743	4339	10089	388
2	अर्धकुशल	6325	10717	4773	11098	427
3	कुशल	7085	12005	5347	12432	478

2 ईट गद्दा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

क्रमिक	श्रेणी	दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक		
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमिक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
2	कुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमिक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
2	पथेरा	रू0-365	रू0-275	रूपया-640/- प्रति हजार
	भराईवाला			
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	रू0-110	रू0-83	रूपया-193/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	रू0-132	रू0-100	रूपया-232/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0-110	रू0-93	रूपया-193/- प्रति हजार

- 1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- 2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- 3 मिथान उद्योग।
- 4 वासित पेय(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- 5 फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- 6 परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- 7 पेट्रोल और डीजल आयात पम्प।
- 8 डेरी और मिल्क डेरी।
- 9 सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- 10 बौध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- 11 उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- 12 प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लिनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- 13 डलाई घर।
- 14 धातु उद्योग।
- 15 टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- 16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- 17 चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
- 18 चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- 19 होजरी संकर्म।
- 20 निजी पुस्तकालय।
- 21 काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- 22 प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- 23 तम्बाकू विनिर्माण।
- 24 धर्मशाला।

- 25 यानिकी(काररेट्री) लदवा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 बुकानो मे
- 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 यावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 रोल मिल।
- 30 लोफ मोटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयरिंग कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सक्रियाओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कुटने।
- 35 थिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 आईसक्रीम/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्क विनिर्माणशाला।
- 40 एरबेन्स सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाण्डी और धुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 पाटरी, सिरोमिक्स या रिफ्रिजरेट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, गूनानी फार्मसी।
- 50 प्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कबल बनाने के अधिष्ठान
- 54 छाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
- 57 छोटा(निनिएदर) बल्ब एवं कौंध उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट भट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हो।
- 63 बुहारने और साफाई में नियोजन, जिसमें साफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रीतिशोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एल0पी0जी0वितरण एवं सम्बंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
- 68 केबिल अपरेटर एवं सम्बंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ) एवं सम्बंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विद्युत संयंत्र(विद्युत संयंत्र(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेन्टर/आई0टी0 इन्फरस्ट्रक्चर/टेलीकॉमिग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आध्यादित न हो, में नियोजन।

*(Handwritten signature)*  
03.04.2023

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 2-9 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15

दिनांक: 34/2023

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मींगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- 2 अनुसंधित उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल [wagecell@nic.in](mailto:wagecell@nic.in) के माध्यम से
- 4 अधिसूची निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट [www.uplabour.gov.in](http://www.uplabour.gov.in) पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमाशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।